UPLK010043682025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 408 / 2025

सरकार बनाम अनिल कुमार यादव

अ0सं0 203 / 2024
धारा–323,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द,ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–गोसाईंगंज, लखनऊ।

03–09–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त अनिल कुमार यादव मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)द, ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 17.10.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010043682025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 408 / 2025

सरकार बनाम अनिल कुमार यादव

अ0सं0 203 / 2024

धारा–323,506 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(1)द,ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,

थाना–गोसाईंगंज, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त अनिल कुमार यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि दिनांक 26.05.2024 समय 06.00 बजे थाना गोसाईंगंज जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम ग्राम लालशाह का पुरवा में आप अभियुक्त अनिल कुमार यादव द्वारा वादिनी मुकदमा लक्ष्मी को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त अनिल कुमार यादव द्वारा वादिनी मुकदमा लक्ष्मी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त अनिल कुमार यादव द्वारा वादिनी मुकदमा लक्ष्मी को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त अनिल कुमार यादव द्वारा वादिनी मुकदमा लक्ष्मी जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 03–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 03–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127